<u>न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा</u>
पीठासीन अधिकारी–राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02008
<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1155/2026</u>
(CNR No. UPET010039252026)

1. अजय उम्र करीब 37 वर्ष पुत्र श्याम बिहारी,
2. पंकज उर्फ पवन उम्र 38 वर्ष पुत्र सतेन्द्र,
निवासीगण घिलौआ, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा।

----आवेदक/अभियुक्तगण

प्रति

उ0प्र0 राज्य -----अभियोजक

मु०अ०सं0–225/2026
धारा–109(1),115(2),190,191(2), 191(3),351(3),352 बी०एन०एस० एवं **7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम**
थाना–कोतवाली देहात, जिला एटा।

<u>24.06.2026</u>

आवेदक/अभियुक्तगण **अजय एवं पंकज उर्फ पवन** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**225/2026** जुर्म अन्तर्गत धारा–**109(1),115(2),190,191(2), 191(3),351(3),352 बी०एन०एस०** एवं **7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम,** थाना **कोतवाली देहात**, जिला एटा के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा यह उल्लिखित किया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 26.05.2026 को समय करीब 08.30 बजे सुबह डायल 112 द्वारा थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम घिलौआ में दो पक्षों में जमीन पर कब्जे को लेकर आपस में कहासुनी व मारपीट कर रहे है। इस सूचना पर वादी उ0नि0 दुलीचन्द यादव मय हमराही पुलिस कर्मचारीगण मौके पर पहुंचा तो देखा कि प्रथम पक्ष के योगेश, राकेश, सतेन्द्र, जगमोहन, श्यामविहारी, बिजेन्द्र पाल, अजय, अनुज, पंकज, नीरज, संतोष, सनी व द्वितीय पक्ष मोहर सिंह, धर्मवीर, ज्ञानदीप उर्फ बोबी, गोविन्द, शिवम, देव सिंह, सत्यवीर, यदुवीर, भवर सिंह, अतेन्द्र सिंह, जितेन्द्र व 8–10 अज्ञात स्त्री पुरुष एक दूसरे को गाली गलोज करते हुये व लाठी डण्डो से मारपीट व जान से मारने की नीयत से एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। पुलिस वालो ने दोनों पक्षों को शांत होने के लिए चिल्लाकर बार बार कहा गया तो नहीं माने और उत्तेजित होकर एक दूसरे पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर रहे थे। मौके पर अफरा तफरी व भय का माहौल व्याप्त हो गया, जिससे आने जाने वाले लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लोग अपने घर के दरवाजे बन्द करने लगे, जिससे घिलौआ गांव मे लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी भय व आतंक का माहौल हो गया। उक्त घटना की सूचना पर जनजीवन को सामान्य प्रवाह के लिए प्रभारी निरीक्षक को सूचित किया गया तथा प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस बल के मौके पर आये। मौके से दो खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। पुलिस वालों ने दोनो पक्षों को पकडने का प्रयास किया तो मौके से भागते हुये सतेन्द्र, बिजेन्द्र पाल, जगमोहन, राकेश कुमार व मोहर सिह, ज्ञानदीप उर्फ बोबी, धर्मवीर व यदुवीर उपरोक्त को समय करीव 10.30 बजे हिम्मत अकली से पकड़ लिया।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदकगण निर्दोष हैं। उन्हें रंजिशन झूठा फँसाया गया है। उन्होंने कोई घटना कारित नहीं

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.06.24 12:50:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की है। गांव के अन्य लोगों ने आवेदकगण के परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा किया था तथा रोकने पर मारपीट की थी, जिसके शिकायत करने राकेश व अन्य लोग गये थे, वहां उन्हें झूठा नामजद कर दिया। वे घटना के समय मौजूद नहीं थे तथा ड्राइवर है। घटना में किसी के कोई फायर की चोट नहीं आयीं है। किसी व्यक्ति के कब्जे से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, जबकि पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना बताया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है, जिन्होंने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लोक व्यवस्था भंग करते हुए लाठी–डण्डों एवं आग्नेयास्त्रों से मारपीट एवं फायरिंग की है। घटना के समय पुलिस दल स्वयं मौके पर उपस्थित था, जिसने दोनों पक्षों को उपद्रव करते हुए देखा तथा मौके से 315 बोर के दो खोखा कारतूस भी बरामद हुए। मामला गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लोक व्यवस्था भंग करते हुए लाठी–डण्डों से एक–दूसरे के साथ मारपीट करने एवं आग्नेयास्त्र से फायरिंग करने का अभियोग है, जिससे आम जानमानस में भय का माहौल उत्पन्न हुआ।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण को गांव की रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा दर्ज नहीं करायी गयी है, उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट उ0नि0 दुलीचन्द यादव द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान घटनास्थल पर प्रत्यक्ष रूप से देखी गयी घटना के आधार पर दर्ज करायी गयी है। अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं होता जिससे यह माना जा सके कि उक्त सूचनाकर्ता किसी भी पक्ष से प्रभावित अथवा पक्षकारों से रंजिश रखने वाला व्यक्ति है।

जहाँ तक बचाव पक्ष द्वारा सहअभियुक्तगण धर्मवीर, मोहर सिंह, ज्ञानदीप उर्फ बोबी एवं यदुवीर को जमानत प्राप्त होने का तर्क प्रस्तुत किया गया है, उसके सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त सहअभियुक्तगण की नियमित जमानत स्वीकार की गयी है, जबकि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अग्रिम जमानत से सम्बन्धित है एवं सहअभियुक्तगण देव सिंह, भवंर सिंह एवं अतेन्द्र की जमानत अग्रिम जमानत इस न्यायालय से दिनांक 22.06.2026 को निरस्त की जा चुकी है।

प्रकरण में विवचना प्रचलित है, इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यदि आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का संरक्षण प्रदान किया गया, तो वे उसका दुरुपयोग करते हुए साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं अथवा विवेचना को प्रभावित कर सकते हैं। आवेदक/अभियुक्तगण के विरुद्ध आक्षेपित आरोप प्रथम दृष्ट्या गंभीर प्रकृति के हैं। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये इस स्तर पर मेरी राय में आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्तगण **अजय** एवं **पंकज उर्फ पवन** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**225/2026** जुर्म अन्तर्गत धारा–**109(1),115(2),190,191(2), 191(3),351(3),352 बी०एन०एस०** एवं **7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम,** थाना **कोतवाली देहात**,, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(राकेश धर दुबे)

दिनॉकः 24.06.2026 सत्र न्यायाधीश, एटा।